

कार्यालय मुख्य अभियंता (परिवर्मी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्र संख्या-97/2/ग्रा0अ0से0/टेके0पजी0/वॉ0स0-1-पत्रा0-83/2018-19, दि0-03.01.2019

पंजीकरण संख्या-355/श्रेणी-बी-मार्ग/2018

:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल अलीगढ़ के पत्र संख्या-1160/दिनांक-31-12-2018 से प्राप्त मैसर्स कुसुम कान्ट्रेक्टर (प्रो) श्रीमती कुसुम सिंह) निवासी-2/2243, शिवाजीपुरम, स्वर्ण जयन्ती नगर, जनपद-अलीगढ़ के बी श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स कुसुम कान्ट्रेक्टर (प्रो) श्रीमती कुसुम सिंह) निवासी-2/2243, शिवाजीपुरम, स्वर्ण जयन्ती नगर, जनपद-अलीगढ़ को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'बी' में टेकेदासी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिवर्मी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूटधाम बांदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-~~अलीगढ़~~ के कार्यालय में वैधता लिखि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)
मुख्य अभियन्ता(प0क्षेत्र)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिनिधि निर्मातस्थित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ़।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(परिवर्मी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्व क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5- निर्देशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- मैसर्स कुसुम कान्ट्रेक्टर (प्रो) श्रीमती कुसुम सिंह) निवासी-2/2243, शिवाजीपुरम, स्वर्ण जयन्ती नगर, जनपद-अलीगढ़ (पी0न0-8445099110) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7-अवर अभियंता (प्राविधिक) कार्यालय मुख्य अभियंता (परिवर्मी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता(प0क्षेत्र)



(प0क्षेत्र)
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
मुख्य अभियन्ता
03/01/19